संख्या: 106/2021/2466/छप्पन-2021-31/2016(Stage-2)

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कलैक्टर,
गौतमबुद्धनगर।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2021

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) हेतु भूमि अर्जन/ अधिग्रहण के निमित्त प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), गौतमबुद्धनगर के पत्रांक- 1483/ आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0ग्री0अ0ए0जेवर/गौतमबुद्धनगर दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) हेतु प्रस्तावित 1365 है0 भूमि के अर्जन से सम्बन्धित **भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** के अन्तर्गत भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामले में अधिनियम की धारा-4 में दी गई व्यवस्था के अनुक्रम में सामाजिक समाघात निर्धारण क्रियान्वयन प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–882/छप्पन-2021-31/2016(स्टेज-2) दिनांक 13 अप्रैल, 2021 को निर्गत की गई। उक्त अधिसूचना में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) हेतु गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा (गौतमबुद्धनगर) को नामित किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु अधिनियम की धारा-7(1) के अन्तर्गत नागरिक उड्डयन अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-86/2021/1852/छप्पन-2021-31/2016 (Stage-2) दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 द्वारा एक बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था।

3- नामित की गई एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट दिनांक 16 नवम्बर, 2021 को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह की बैठक गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा के परिसर के सभा कक्ष में दिनांक 20 नवम्बर, 2021 को सम्पन्न हुई। विशेषज्ञ समूह द्वारा यथाप्रक्रिया मूल्यांकित सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट की सिफारिशे/संस्तुति कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गईं।

4- विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट/संस्तुतियों में यह कहा गया है कि **नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए आवश्यक भूमि 1365 है0 अति न्यूनतम सीमा तक (Absolute bare minimum) है और इससे कम विस्थापित किए जाने वाले कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।**

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए भूमि अर्जन/ अधिग्रहण से सम्बन्धित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) एवं उस पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट/संस्तुतियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुतीकरण किया गया तथा सभी बिन्दुओं/पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सम्यक् विचारोपरान्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (SIMP) के यथाप्रक्रिया अनुमोदन की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए है।

6- उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण हेतु **'भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'** के अध्याय-2 की धारा-8 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (SIMP) रिपोर्ट को एतद्द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित किया जाता है।

7- **भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-8(3) में दी गई व्यवस्थानुसार समुचित सरकार का विनिश्चय, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलैक्टर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।** तद्नुसार कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की स्वीकृति के उपरान्त शासन के विनिश्चयानुसार प्रकाशन/वेबसाइट पर प्रकाशन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है।

8- **भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में विहित प्रावधानानुसार प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति, जैसी अधिनियम के अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिप्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।** तदनुसार अनुरोध है कि कृपया शासन के विनिश्चयानुसार अधिनियम में विहित प्रावधानान्तर्गत नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए भू-अर्जन विषयक अधिसूचना के निर्गमन/प्रकाशन हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0- 106/2021/2466(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त/राजस्व/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कुल सचिव, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर-201312.
6. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, उ0प्र0, लखनऊ ।
8. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत प्रकरण में अधिनियम में विहित व्यवस्थानुसार शासन के विनिश्चय को समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर को उनके उक्त पत्र दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में।
10. विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र भाटिया)/नोडल अधिकारी जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।